हिंदी भाषा

اللغة الهندية

دليل المسلم الجديد، ما هو الإسلام؟

للشيخ د. هيثم سرحان

नवीन मुस्लिम मार्गदर्शक

इस्लाम क्या है?

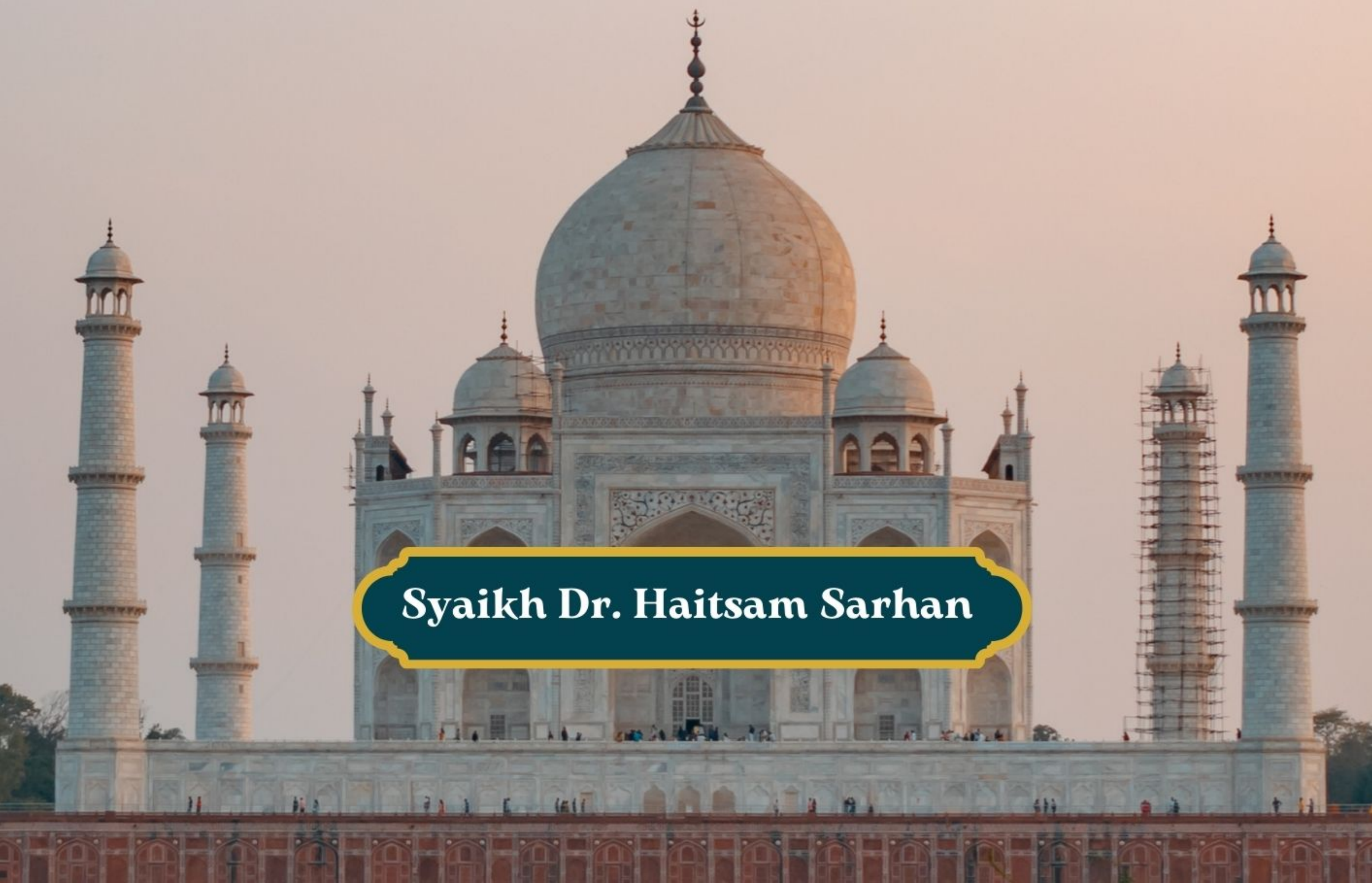

Syaikh Dr. Haitsam Sarhan

رِسَالَةٌ مُخْتَصَرَةٌ بِعُنْوَانِ:

«كَيْفَ أَدْخُلُ فِي الإِسْلاَمِ؟»

مُتَرْجَمَةٌ إِلَى اللُّغَةِ: الهندية

«मैं इस्लाम कैसे अपनाऊं»

अनुवादः साबिर हुसैन पुत्र मुहम्मद मुजीबुर रहमान

إِعْدَادُ الفَقِيرِ إِلَى عَفْوِ رَبِّهِ:

هَيْثَم بْنِ مُحَمَّدٍ سَرْحَان

المُدرِّس بمعهد الحرم بالمسجد النّبويّ -سابقًا- والمُشرِف على معهد السُّنَّة

https://mahadsunnah.com/

غفر الله له ولوالديه ولمن أعانه على إخراج هذا الكتاب

قامَ بتَرجَمَتِها: صابر حسين بن محمد مجيب الرحمن -وفَّقهُ اللهُ وسَدَّدَهُ-

الطَّبعة الأُولى

[حقوقُ الطَّبع مُتاحةٌ لكلِّ مسلمٍ بدونِ أيِّ تغييرٍ في المُحتوى]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

प्रश्न:	उत्तर:
क्या इस्लाम धर्म स्वीकार करना आसान है?	हाँ, इसके लिए किसी मध्यस्थ या अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है।
क्या मुझे इस्लाम स्वीकार करने में जल्दबाजी करनी चाहिए, या मुझे उचित समय का इंतजार करना चाहिए, अथवा समस्याओं के समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए?	जल्दबाजी करना जरूरी है, क्योंकि इस्लाम स्वीकार करने में देरी करने से बुराइयां पैदा हो सकती हैं। आप किसी भी समय मर सकते हैं, और चूँकि इस्लाम में प्रवेश करना एक लाभदायक व्यवसाय है, और व्यापार आरंभ करने में आप जितना अधिक जल्दी करेंगे वह आपके लिए उतना अधिक लाभदायक होगा।
जो व्यक्ति इस्लाम अपनाना चाहता है उसे क्या करना चाहिए?	उसे केवल दो शहादत (गवाही) अर्थात: (अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू) का उच्चारण करना है:
किस भाषा में इसका वचन लिया जायेगा?	जो भाषा वह अच्छे से जानता है उसी भाषा में इसका वचन ले सकता है, इसे अरबी भाषा में ही कहना शर्त नहीं है।

प्रश्न:	उत्तर:
क्या वह इसका अर्थ समझे बिना इसका वचन ले सकता है?	नहीं, बल्कि उसे इसका अर्थ समझना चाहिए, इसमें जो कुछ है उस पर विश्वास करना चाहिए और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए।
"अश्हदु" का क्या अर्थ है?	इसका अर्थ है: मैं अपने हृदय से स्वीकार करता हूँ, अपनी ज़ुबान से बोलता हूँ तथा अंगों के द्वारा इसके अनुसार कार्य करता हूँ।
"ला इलाहा इल्लल्लाह" का क्या अर्थ है?	इसका अर्थ है: अल्लाह के अलावा वास्तव में पूजा करने योग्य कोई नहीं है।
"अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु" का क्या अर्थ है?	इसका अर्थ है कि: वह अल्लाह के दास हैं जिनकी पूजा नहीं की जा सकती, तथा उसके रसूल (दूत) हैं जिनको झुठलाया नहीं जा सकता। इस गवाही से यह अनिवार्य हो जाता है कि: आप जो सूचना दें उसमें आपकी पुष्टि की जाए, आप जो आदेश दें उसका पालन किया जाए तथा जिससे आपने रोका और मना किया है उससे रुक जाए, एवं आपकी सुन्नत का अनुसरण करे और आपकी पैरवी करे।
मैं अच्छी तरह समझ गया, अब मुझे क्या करना चाहिए?	मेरे साथ-साथ दोहराएं: "अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू (अर्थात: मैं इस बात की गवाही देता हूँ

प्रश्न:	उत्तर:
	कि अल्लाह के सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं और इस बात की गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उसके बंदे और रसूल हैं"।
क्या अब मैं मुसलमान हूँ?	हाँ, अल्लाह का शुक्र है, यह आप पर अल्लाह की कृपा है।
अब एक मुसलमान के रूप में आप मुझे क्या करने की सलाह देते हैं?	मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप अल्लाह से प्रार्थना करें कि वह आपको अपने धर्म में दृढ़ बनाए रखे, अच्छे साथी चुनें जो इसमें आपकी मदद करें, इस्लाम सीखें और अपने इस्लाम को तब तक छिपाएं जब तक वह अल्लाह की इच्छा से मजबूत न हो जाए।
सर्वोत्तम दुआ (प्रार्थना) क्या है?	﴿ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٦﴾ (इह्दिनस्सिरातल मुस्तक़ीम) अर्थात: हे अल्लाह! मुझे सीधा मार्ग दिखा।
सबसे आसान ज़िक्र (जाप) क्या है?	सबसे आसान ज़िक्र "बिस्मिल्लाह" कहना है, यह कहा जायेगा: मस्जिद एवं घर में प्रवेश करते समय एवं निकलते समय, क़ुरआन पढ़ते समय, शौचालय में प्रवेश करने के पूर्व, वस्त्र उतारने के

प्रश्न:	उत्तर:
	पूर्व, वुज़ू के पहले तथा खाने-पीने के पहले इत्यादि स्थानों पर।
इस्लाम में प्रवेश करने से पहले मैंने जो पाप किये थे उनका क्या हुक्म है?	इस्लाम अपने पहले के पापों को नष्ट कर देता है, सिवाय उन लोगों के अधिकारों के जिन्हें अदा किया जाना अनिवार्य है, अतः इसे उन लोगों को अदा किया जाना चाहिए जो इनके हकदार हैं।
शहादत (गवाही) के बाद अब मेरे ऊपर क्या अनिवार्य है?	आपके ऊपर स्नान करना अनिवार्य है।
मैं स्नान क्यों करूँ?	**प्रथम**: मुसलमान यह नहीं कहता है कि "क्यों" अपितु वह कहता है: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ (हमने सुना और अनुसरण किया)। **द्वितीय**: आप स्नान इसलिए करें ताकि अपने शरीर के बाहरी भाग को भी उसी प्रकार से शुद्ध कर लें जिस प्रकार से आपने शरीर के आंतरिक भाग को शुद्ध किया है।
अच्छा, ठीक है, मैं स्नान कैसे करूँ?	अपने दिल में स्नान करने का इरादा करके "बिस्मिल्लाह" कहते हुए समस्त शरीर पर पानी बहा लें।

प्रश्न:	उत्तर:
स्नान के बाद क्या करना है?	जब नमाज़ का समय होगा तो आप अल्लाह की अनुमति से नमाज़ अदा करेंगे।
मेरे लिये नमाज़ पढ़ना कठिन है, क्योंकि इसमें ऐसे कथन एवं कार्य हैं जिनको मैं अच्छे ढ़ंग से अदा नहीं कर सकता?	इस्लाम आसानी का धर्म है, कठिनाई का धर्म नहीं, अतः प्रशंसा और कृतज्ञता अल्लाह के लिए ही है।
मैं नमाज़ कैसे पढ़ूँ?	आप मुझे देख-देख कर नमाज़ पढ़ें, या नमाज़ सिखाने वाली वीडियो क्लिप देखें तथा इस पुस्तिका के अंत में सूचीबद्ध लिंक के अनुसार आपको मअहद अल-सुन्नत संस्थान के चैनलों पर कई भाषाओं में वीडियो क्लिप भी मिल जायेंगी।
नमाज़ के बाद अब क्या करूँ?	आपको इस्लाम के उन पाँच अरकान (स्तंभों) को जानना चाहिए जिनके ऊपर इस्लाम का आधार है, फिर ईमान के अरकान, और इसी तरह... यहाँ तक कि आप उन चीज़ों को पूर्ण कर लें जिनके द्वारा आपका इस्लाम और ईमान सही हो।

प्रश्न:	उत्तर:
इस्लाम सीखने के लिए आप मुझे किन वेबसाइटों पर जाने की सलाह देते हैं?	मैं आपको सऊदी अरब के प्रमुख विद्वानों और सामुदायिक दावा सेंटर की वेबसाइटों का भ्रमण करने की सलाह देता हूं।
मैं अपने ग़ैर-मुस्लिम रिश्तेदारों के साथ कैसा व्यवहार करूं?	आप उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ग़ैर-मुस्लिमों के साथ किया करते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी ज़ुबान, अपनी नैतिकता एवं अपने व्यवहार से इस्लाम की दावत देने वाले थे।
कोई है जो इस्लाम अपनाना चाहता है, परंतु अपने परिवार को अपने इस्लाम अपनाने के बारे में नहीं बताना चाहता, तो उसका क्या हुक्म है?	कदापि आवश्यक नहीं है कि वह अपने इस्लाम के बारे में किसी को बताए, क्योंकि उसका इस्लाम उसके एवं उसके अल्लाह के बीच का मामला है।
इस्लाम में सबसे अच्छी किताब कौन सी है?	सबसे अच्छी किताब पवित्र क़ुरआन है, क्योंकि यह सर्वशक्तिमान अल्लाह का कलाम (वाणी) है।

प्रश्न:	उत्तर:
पवित्र क़ुरआन में सबसे महत्वपूर्ण सूरह कौन सी है?	सबसे महत्वपूर्ण सूरह अल-फ़ातिहा है, यही कारण है कि हम इसे नमाज़ की हर रकअत में पढ़ते हैं।
पवित्र क़ुरआन में सबसे महान आयत कौन सी है?	पवित्र क़ुरआन में सबसे महान आयत आयतुल कुर्सी है।
मैं क़ुरआन कैसे पढ़ सकता हूँ?	क़ुरआन सीखने और तिलावत सुनने के द्वारा, जैसे शेख हुज़ैफ़ी एवं शैख़ हुसरी आदि की तिलावत को सुनना।
मैं क़ुरआन को कैसे समझूं?	आप इसे उम्मत के प्रशंसित विद्वानों द्वारा लिखित तफ़्सीर (व्याख्या) की पुस्तकों को पढ़कर समझ सकते हैं।
मुझे क़ुरआन की तफसीर कहां मिल सकती है?	मैं आपको पैग़ंबर के शहर मदीना में स्थित क़ुरआन प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स का दौरा करने की सलाह देता हूं।
क़ुरआन के बाद आप मुझे क्या पढ़ने की सलाह देते हैं?	मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की प्रामाणिक हदीसों को पढ़ने की सलाह देता हूँ।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों की	हदीस की सर्वोत्तम और सबसे सही किताब "सहीह अल-बुख़ारी" नामक किताब है। उम्मत इस के सर्वोत्तम होने पर एकमत है। मैं आपको

प्रश्न:	उत्तर:
सबसे अच्छी किताब कौन सी है?	इस पुस्तिका के अंत में पुस्तक डाउनलोड लिंक का उपयोग करने की सलाह देता हूं।
पैग़ंबर की सुन्नत में सबसे महत्वपूर्ण हदीस कौन सी है?	इनमें से सबसे महत्वपूर्ण हदीस, हदीस -ए-जिब्रील है, जो धर्म के तीन स्तरों की व्याख्या करती है: इस्लाम, ईमान एवं एहसान।
मुझे डर है कि मैं इस्लाम नहीं सीख पाऊंगा?	डरें नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखें, सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह आपके प्रयास में आपकी सहायता करेंगे, धर्म आसान है, अल्लाह आपको उस चीज़ का अनुग्रह प्रदान करे जिसे वह पसंद करता है और उससे प्रसन्न होता है। आप पुस्तिका के अंत में दिए गए लिंक से हमारे संस्थान "मअहद अल- सुन्नत" पर जा कर, घर बैठे ही निःशुल्क अध्ययन कर सकते हैं। अंत में, मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के द्वारा वसीयत करता हूँ: "जो वस्तु आपके लिए लाभदायक हो उसके लिए प्रयास करें, अल्लाह से सहायता मांगें और असमर्थता का प्रदर्शन न करें"।

मअहद अल-सुन्नत चैनलों के लिंक

टेलीग्राम का लिंक

फेसबुक का लिंक

मअहद अल-सुन्नह वेबसाइट

वाट्सअप का लिंक

हैसम सरहान वेबसाइट

किताबें डाउनलोड करने का लिंक

यूट्यूब चैनल 1

यूट्यूब चैनल 2

यूट्यूब चैनल 3

Indian الهندية

3 तौहीद के प्रकार

सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह को उसकी समस्त विशेषताओं: उपास्य होने, सृजनकर्ता होने तथा उसके नाम एवं गुण में, उसको अकेला मानना।

तथा इसके तीन प्रकार हैं

तौहीद अल-असमा व अल-सिफात

सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह ने अपने क़ुरआन में या अपने रसूल के द्वारा अपना जो नाम या विशेषता बताई है, उन सब में अल्लाह को अकेला मानना, और वह इस प्रकार कि उसने अपने लिए जो साबित किया है उसको साबित करना और जिसका अपनी ओर से इंकार किया है उसका इंकार करना। बिना किसी हेर-फेर, निरस्तिकरण, कैफियत एवं समानता बयान किये हुये के।

तौहीद -ए- उलूहियत

उपासना एवं आराधना योग्य होने में सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह को अकेला मानना या बंदों के कर्मों में अकेला मानना।

तौहीद -ए- रुबूबियत

सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह को उसके समस्त क्रियाकलाप में अकेला मानना अथवा अल्लाह तआला को सृष्टि कर्ता होने, बादशाहत तथा तदबीर करने में, अकेला मानना।

दीन की तीन श्रेणियां हैं

एहसान

आप सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह की इबादत इस प्रकार से करें कि मानो आप अल्लाह को देख रहे हैं और यदि आप उसे नहीं देख रहे हैं तो वह आपको तो अवश्य देख रहा है।

(एहसान का) एक ही रुक्न है, तथा इसके अंतर्गत दो दर्जे हैं:

1- मुशाहदा (दर्शन) वाली इबादतः आप अल्लाह की इबादत व उपासना ऐसे करें मानो उसे देख रहे हों।
2- निगरानी वाली इबादतः यदि आप उसे नहीं देख रहे हैं तो वह आपको अवश्य देख रहा है।

ईमान

ज़ुबान से इकरार करना, दिल से विश्वास रखना, शरीर के अंगों से कर्म करना, ईमान (सुकर्म से) बढ़ता है और (कुकर्म से) घटता है।

ईमान के अरकान (स्तंभ): 6

1- अल्लाह पर ईमान (विश्वास) रखना।
2- उसके फ़रिश्तों पर ईमान रखना।
3- उसकी किताबों पर ईमान रखना।
4- उसके रसूलों पर ईमान रखना।
5- आख़िरत के दिन पर ईमान रखना।
6- तथा अच्छे व बुरे भाग्य पर ईमान रखना।

इस्लाम

सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान अल्लाह को अकेला मानते हुए उसके आगे नतमस्तक हो जाना, उसकी आज्ञाकारी करते हुए आत्मसमर्पण कर देना तथा शिर्क एवं मुश्रिकीन से संबंध विच्छेद कर लेना।

इस्लाम के अरकान (स्तंभ): 5

1- अल्लाह एवं उसके रसूल की गवाही देना।
2- नमाज़ स्थापित करना।
3- ज़कात (दान) देना।
4- रमज़ान का रोज़ा रखना।
5- जो क्षमतावान हो उसका ख़ाना -ए- काबा का हज्ज करना।

4 मुहर्रमात (वर्जनाओं) के प्रकारः

सग़ीरा गुनाह

(यह कबीरा से छोटा है) इस्तिग़फ़ार एवं क्षमा याचना करने से कबीरा गुनाह माफ़ हो जाता है तथा बार-बार करने से सग़ीरा गुनाह कबीरा गुनाह में परिवर्तित हो जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः (तुम गुनाहों को तुच्छ समझने से बचो क्योंकि यह किसी व्यक्ति के ऊपर एकत्रित हो जाती हैं तथा उसका नाश कर देती हैं

कबीरा गुनाह

(प्रत्येक वह पाप जिसके करने पर निश्चित दण्ड निर्धारित है) जैसे जादू, मातृ-पिता की अवज्ञा करना, ब्याज खाना, व्यभिचार करना, समलैंगिक होना, झूठ बोलना, शराब पीना, चोरी करना, ग़ीबत करना, बिना किसी कारण के मासूम जान को मारना, अनाथ का माल खाना।

शिर्क -ए- असग़र

(यह इस्लाम धर्म से निष्कासित नहीं करता है, यह कबीरा गुनाहों में स सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है) जैसे कोई कहेः जो अल्लाह चाहे और आप चाहें, ग़ैरुल्लाह की क़सम खाना, थोड़ी सी रियाकारी (पाखण्ड), शिर्क आधारित जंतर लटकाना, अपशकुन लेना, हाथ की रेखाओं को पढ़ना एवं सीप लटकाना इत्यादि यह समझते हुये कि यह सुरक्षा करेगा अथवा बुरी नज़र लगने से बचाएगा।

शिर्क -ए- अकबर

(यह इस्लाम धर्म से निष्कासित करने वाला है, तथा यदि इसी स्थिति में मृत्यु हो गई तो कभी माफ़ नहीं किया जायेगा) ऐसा करने वाला व्यक्ति दूसरों को अल्लाह के समान बना लेता है तथा अल्लाह से प्रार्थना करने के समान उससे प्रार्थना करता है, या उससे भयभीत होता है, या उससे आशा रखता है अथवा उससे अल्लाह स प्रेम करने के समान प्रेम करता है, या पूजा के किसी प्रकार को उसके लिये अंजाम देता है।

वुज़ू, तयम्मुम एवं ग़ुस्ल (स्नान) का तरीका। 2

वुज़ू का तरीका।

दिल से वुज़ू की नीयत करे, ज़ुबान से नीयत के शब्द न बोले, फिर बिस्मिल्लाह" कहे, इसके पश्चात अपनी हथेलियों को धोए।

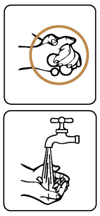

1

फिर अपनी दाहिनी हथेली में पानी ले और उससे कुल्ली करे "पानी को अपने मुँह में डाले तथा इसे मुँह में घुमाए" इस के बाद इसे अपने मुँह से बाहर फेंके, फिर अपने नथनों में पानी से इस्तिंशाक़ करे "अर्थातः पानी को नाक से ऊपर खींचे" फिर इस्तिंसार करे "अर्थातः पानी को अपनी नाक से बाहर फेंके एवं बाएं हाथ की अपनी शहादत की ऊँगली (तर्जनी) एवं अंगूठे को अपनी नाक पर रखे"।

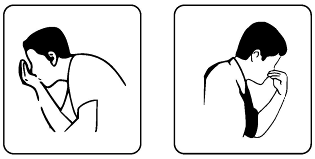

2

फिर अपने मुख को धोए "लंबाई में सिर की सामान्य बालों की रेखा से दाढ़ी और ठोड़ी के अंत तक एवं चौड़ाई में दोनों कानों के बीच तक"।

3

फिर अपने हाथों को उँगलियों की नोक से ले कर कोहनियों तक धोए, आरंभ दाहिने हाथ से करे तत्पश्चात बाएं हाथ को धोए।

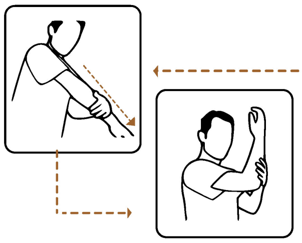

4

फिर अपने सिर का मसह करे, सिर के आरंभिक भाग से शुरू करते हुए अपने हाथों को पीछे गुद्दी तक ले जाए फिर उन्हों वापस अपने सिर के आरंभिक भाग तक लाए।

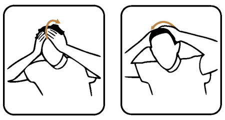

5

फिर वह अपनी तर्जनी (शहादत की ऊँगली) को अपने कानों के छेद में डाले एवं अपने अंगूठे के माध्यम से कान के ऊपरी भाग का मसह करे अर्थात पोंछे।

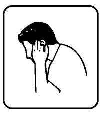

6

फिर वह अपने पैरों को टखनों समेत धोए।

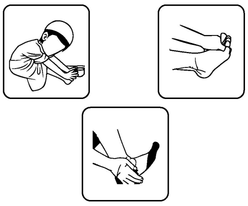

7

- मशरूअ एवं निश्चित मात्रा से अधिक करने का हुक्म ?

वुज़ू में निर्धारित मात्रा से अधिक करना जायज़ (उचित) नहीं है, जैसे तीन से अधिक बार धोना, या कोहनी के ऊपरी भाग अर्थात बाज़ू को धोना, या पैर की एड़ी के ऊपरी भाग को धोना, या गर्दन को पोंछना।

8

- वुज़ू से फ़ारिग़ होने के बाद यह दुआ पढ़ेः

अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वह्दहु ला शरीका लहु, व अश्हदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहुम्मजअल्नी मिनत्तव्वाबीन वजअल्नी मिनल मुततह्हिरीन)।

9

- वुज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें :

1- अगवाड़े एवं पिछवाड़े से निकलने वाली चीज़, जैसे पेशाब, मल या पाद।

2- सो जाने के कारण या बेहोशी की वजह से सोचने-समझने की शक्ति का समाप्त हो जाना।

3- ऊंट का मांस खाना।

10

तयम्मुम का तरीका

तयम्मुम : पानी के द्वारा प्राप्त होने वाली पाकी एवं शुद्धि के विकल्प को कहते हैं, जब पानी अनुपलब्ध हो अथवा पानी प्रयोग करने पर हानि होने का भय हो तो इस स्थिति में शारीरिक अंगों को पाक एवं शुद्ध करने के लिए मिट्टी पानी का स्थान ले लेता है।

1

मन में तयम्मुम करने की नीयत करे, फिर बिस्मिल्लाह कहे, इस के बाद ज़मीन पर एक बार मारे, और अपनी हथेलियों से अर्थात हाथ के भीतरी भाग से अपने चेहरे एवं हथेली के ऊपरी भाग का मसह़ करे।

2

मिट्टी पर मारते समय उँगलियों को खोल कर रखना, एवं हथेलियों का मसह करते «पोंछते» समय इन का ख़िलाफ करना, दोनों ही मशरूअ (विधान) नहीं हैं।

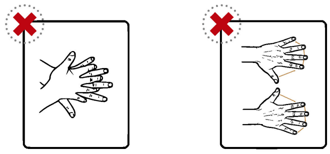

3

वाजिब ग़ुस्ल (अनिवार्य स्नान) का ढ़ंग व तरीका

मन में ग़ुस्ल करने की नीयत करे, फिर चुपके से बिस्मिल्लाह कहे, तत्पश्चात कुल्ली एवं नाक में पानी डालने सहित समस्त शरीर पर एवं हल्के एवं घने बालों के नीचे पानी पहुँचाए।

1

- ग़ुस्ल को वाजिब (स्नान को अनिवार्य) करने वाली चीज़ें :

1- जनाबतः जो कि संभोग इत्यादि के द्वारा वीर्य स्खलन से होता है, अथवा दो जननांगों (शिश्न एवं योनि) का मिलन मात्र हो तब भी स्नान अनिवार्य हो जाता है यद्यपि वीर्य स्खलन न हो। 2- मासिक धर्म रक्तस्राव और प्रसवोत्तर रक्तस्राव। 3- शहीद होने की स्थिति में न मरना। 4- काफिरों का इस्लाम लाना।

2

संकलन : डॉ. हैसम सरहान, शिक्षक मस्जिद -ए- नबवी एवं "मअहद अल-सुन्नह सुन्नत संस्थान : mahadsunnah.com" के पर्यवेक्षक।

कॉपीराइट और वितरण अधिकार उपलब्ध हैं। - ब्रोशर के अनुवाद के लिए : sarhaan.com पर जाएं अथवा बारकोड को स्कैन करें।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नमाज़ का ढ़ंग एवं तरीका। 1

इमाम और अकेले नमाज़ पढ़ने वालों का अपने सामने सुत्रह रखना सुन्नत है, और इमाम का सुत्रह ही उन के पीछे नमाज़ पढ़ने वालों का सुत्रह है।

अपनी दृष्टि उस स्थान पर रखे जहाँ सज्दा करता (शीश नवाता) है, और इधर-उधर न देखे।

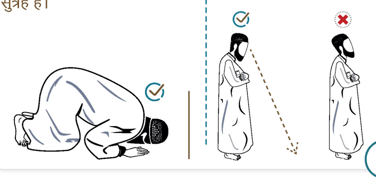

1

दोनों कंधों के मध्य जितनी दूरी है उतनी ही दूरी दोनों पैरों के बीच रखनी चाहिए, न बढ़ाए और न घटाए, और दोनों के बाहरी भाग को बिल्कुल सीधा रखे।

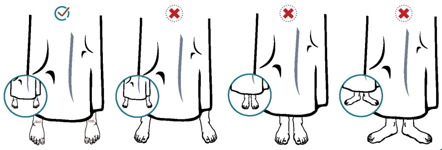

2

नमाज़ की शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात, हाथों की उँगलियों को एक दूसरे से मिलाए हुए हाथों को कानों अथवा कंधों के बराबर उठाते हुए ("अल्लाहु अकबर") कहे, तथा हथेलियों के भीतरी भाग को क़िबला की दिशा में रखे।

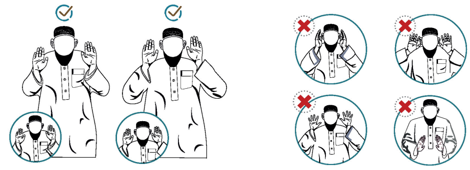

3

फिर अपनी दाहिनी हथेली के अंदरूनी हिस्से को अपनी बाईं हथेली के बाहरी भाग, अथवा कलाई अथवा बाज़ू पर रखे और हाथों को "छाती पर रखे" या इसे पकड़े रहे।

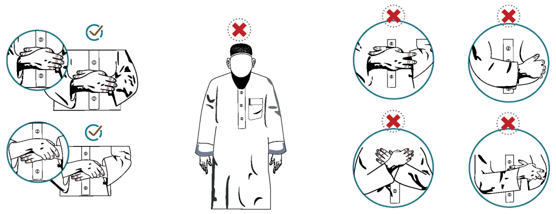

4

- फिर मुस्तहब है कि केवल पहली रकअत में दुआ -ए- इस्तिफ़्ताह़ पढ़े, तथा उत्तम यह है कि इस्तिफ़्ताह़ के विषय में वर्णित दुआओं के मध्य विविधता अपनाए, तथा कहेः
"सुब्ह़ानका अल्लाहुम्मा व बिह़म्दिका व तबारका इस्मुका व तआला जद्‌का व ला इलाहा ग़ैरुका"

- तत्पश्चात वर्णित इस्तिआज़ा के वाक्यों द्वारा अल्लाह की शरण चाहे, उदाहरणतःयों कहेः "अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैत़ानिर्रजीम"।

- इसके पश्चात "बिस्मिल्लाहिर्रह़मानिर्रह़ीम") कहे, और सूरह फ़ातिह़ा का पाठ करे, इस के छंदों, शब्दों, अक्षरों एवं स्वरों को उसी क्रमवार ढ़ंग से कहे जिस प्रकार वो वर्णित हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रह़मानिर्रह़ीम। (1) अल्ह़म्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन (2) अर्रह़मानिर्रह़ीम (3) मालिकि यौमिद्दीन (4) इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन (5) इहदिनस्सि़रात़ल मुस्तक़ीम (6) सि़रात़ल लज़ीना अन अमता अलैहिम ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन (7))[।

- फिर मुस्तहब तौर पर बिना इस्तिआज़ा के क़ुरआन से जो कुछ पढ़ना सरल हो उसे पढ़े, तथा बिस्मिल्लाह केवल सूरह के आरंभ मे ही पढ़े।

5

फिर जिस प्रकार से तकबीर -ए- तह़रीमा में "अल्लाहु अकबर" कहा था उसी प्रकार से "अल्लाहु अकबर" कहते हुए अपने दोनों हाथों को उठाए तथा रुकूअ करे, तत्पश्चात अपने घुटनों को पकड़े एवं कोहनियों को मोड़े नहीं, और पीठ को अपने सिर के बराबर में सीधा रखे, तथा एक बार वाजिबी तौर पर (अनिवार्य रूप से) "सुब्ह़ान रब्बियल अज़ीम" कहे, एवं एक बार से अधिक कहना तथा इस विषय में जो अन्य दुआएं (जाप) वर्णित हैं उन्हें पढ़ना मुस्तहब है।

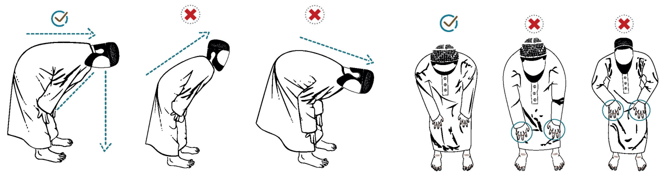

6

फिर, उठने के साथ और सीधा होने से पहले, कहेः "समिअल्लाहु लिमन ह़मिदहु") अपने दोनों हाथों को कानों के बराबर अथवा कंधों के बराबर उठाते हुए।

और जब सीधा हो जाए, तो कहेः "रब्बना व लकल ह़म्द"), तथा इस के सिवा और भी जो दुआएं (जाप) वर्णित हैं उन्हें पढ़ना मुस्तह़ब (वांछनीय) है।

इस के पश्चात बिना हाथ उठाये तकबीर कहे और सात अंगों: पेशानी (ललाट) एवं नाक, दोनों हथेलियों के भीतरी भाग, दोनों घुटने तथा दोनों पंजों के तलवों पर सज्दा करे।

तथा बगलों के बीच, पेट और जाँघ के बीच, और जाँघ और पिंडली के बीच दूरी रखे, और अपनी भुजाओं को भूमि से ऊपर उठा कर रखे।

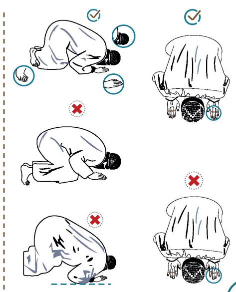

7

तथा एक बार वाजिबी तौर पर (अनिवार्य रूप से) "सुब्ह़ान रब्बियल आला" कहे, एवं एक बार से अधिक कहना तथा इस विषय में जो अन्य दुआएं (जाप) वर्णित हैं उन्हें पढ़ना मुस्तहब है।

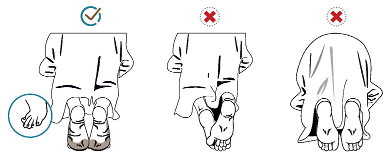

8

फिर तकबीर कहे और अपने बाएं पाँव को बिछा कर बैठे, और दाहिने पाँव को खड़ा रखे, तथा दाहिने पाँव की उँगलियों के तलवों को ज़मीन पर तथा उँगलियों को क़िब्ला की ओर रखे, और हथेलियों के भीतरी भाग को जाँघों के अंतिम सिरा पर रखे, तथा यह दुआ पढ़ेः "रब्बिग़फ़िर ली" , बैठने का यह ढ़ंग नमाज़ की सभी जलसों बैठने की भंगिमाओं में होगा, परंतु तीन रकअत अथवा चार रकअत वाली नमाज़ों के अंतिम तशह्हुद में तवर्रुक करेगा, अर्थातःअपने बाएं पाँव को दाहिनी पिंडली के नीचे रखेगा।

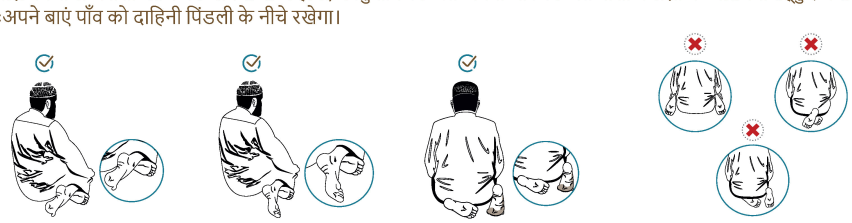

9

फिर तकबीर बोले और पहले सज्दे की तरह सज्दा करे, फिर तकबीर कहे और दूसरी रकअत के लिए उठे, और जैसा उसने पहली रकअत में किया था वैसा ही करे, सिवाय इस के कि दूसरी रकअत में तकबीर -ए- तह़रीमा एवं दुआ -ए- इस्तिफ़ताह़ नहीं है।

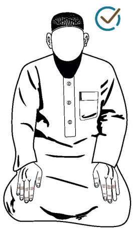

जब दूसरा सज्दा पूरा कर ले तो तशह्हुद के लिए बैठे।

अपनी शहादत की ऊँगली तर्जनी से इशारा करे तथा मध्यमा और अंगूठे से गोलाकार बनाए, एवं अपनी उँगली से दुआ करते हुए इसे हिलाए।

इस के पश्चात तशह्हुद पढ़े, फिर दरूद -ए- इब्राहीमी पढ़ेःअत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तैयिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाही व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहु)।
अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, व अला आले मुहम्मद, कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीम, इन्नका हमीदुन मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, व अला आले मुहम्मद, कमा बारक्ता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीम, इन्नका हमीदुन मजीद)।

फिर चार चीजों से अल्लाह की पनाह माँगेः अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिन अज़ाबि जहन्नम, व अऊज़ुबिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, व अऊज़ुबिका मिन फ़ितनतिद्दज्जाल, व अऊज़ुबिका मिन फ़ितनतिल मह़्या वलममात)। तथा उसे जो प्रिय हो वह दुआ करे, एवं उत्तम यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित दुआएं पढ़े एवं उनके साथ इस दुआ को मिलाएःअल्लाहुम्मा अ,इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका)।

फिर अपनी दायीं ओर और बाईं ओर दो सलाम फेरे, और इस प्रकार से कहेःअस्सलामु अलैकुम व रह़मतुल्लाह), एवं अपने सिर को केवल कंधे के बराबर तक घुमाए, और अपने सिर को ऊपर नीचे न घुमाए, तथा न ही अपने हाथों से इशारा करे।

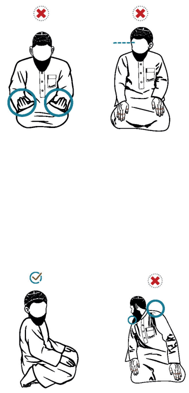

10

संकलन : डॉ. हैस़म सरहान, शिक्षक मस्जिद -ए- नबवी एवं "मअहद अल-सुन्नह सुन्नत संस्थान mahadusunnah.com के पर्यवेक्षक।
अनुवादः साबिर हुसैन मोहम्मद मुजीबुर्रहमान

कॉपीराइट और वितरण अधिकार उपलब्ध हैं। - ब्रोशर के अनुवाद के लिए: sarhaan.com पर जाएं अथवा बारकोड को स्कैन करें।

ज़कात अल-फ़ित्र का हुक्मः

मुस्तहब हैः	वाजिब हैः	
गर्भाशय में पल रहे शिशु की ओर से।	प्रत्येक उस मुसलमान पर जिस पर रमज़ान मास के अंतिम दिन का सूर्य अस्त हुआ हो, यद्यपिः वह बड़ा हो, छोटा हो, पुरुष हो, महिला हो, स्वतंत्र हो अथवा दास हो।	तथा उस के पास, ईद के दिन एवं उस की रात्रि तक के लिए, उस के एवं उस के परिवार वालों के भोजन एवं मूल आवश्यकताओं से एक साअ अधिक हो।

ज़कात अल-फ़ित्र को मशरूअ (विधान) करार देने की हिकमत (तत्वज्ञान):

यह रोज़ेदार को बेहूदगी एवं अश्लीलता से पाक एवं पवित्र करने के लिये है।	यह भिक्षुकों तथा निर्धनों को ईद के दिन माँगने से बेपरवाह एवं चिंतारहित करने के लिये है।

ज़कात अल-फ़ित्र निकालने का समयः

जायज़ समयः	मुस्तहब (वांछनीय) समयः	हराम समयः
ईद से एक दिन अथवा दो दिन पूर्व।	ईद की नमाज़ के पूर्व फज्र की नमाज़ के बाद।	ईद की नमाज़ के पश्चात।

ज़कात अल-फ़ित्र में क्या निकालना पर्याप्त व काफी होगाः

जिन खाद्य पदार्थों को मानव सामान्यतः खाता है उन में से "एक साअ" निकालना, एवं "एक स़ाअ" उन्नत गेहूं का वज़न लगभग दो किलो चालीस ग्राम होता है, तथा प्रत्येक अनाज का भार उसके आधार पर कम या अधिक होता है।	नक़दी निकालना पर्याप्त नहीं होगा।

वज़न के आधार पर प्रसिद्ध खाद्य पदार्थों की ज़कात अल-फ़ित्र की मात्राः

चावलः 2300 ग्राम।	**सूजीः** 2000 ग्राम।	**आटाः** 1400 ग्राम।
चनाः 2000 ग्राम।	**मसूरः** 2100 ग्राम।	**गेहूंः** 2040 ग्राम।
किशमिशः 1640 ग्राम।	**खजूरः** 1800 ग्राम।	**फलियांः** 2060 ग्राम।

प्राप्तकर्ता एवं मात्रा के आधार पर ज़कात के प्रकारः

1- जिसमें भुगतानकर्ता एवं प्राप्तकर्ता का उल्लेख किये बिना भुगतान की जाने वाली वस्तु का निर्धारण किया गया है, जैसे स़दक़ा -ए- फ़ित्र।	**2-** जिसमें भुगतान की जाने वाली वस्तु एवं प्राप्तकर्ता का निर्धारण किया गया है, जैसेः पीड़ा (अज़ा) का फ़िदयाः "**छः निर्धनों को खाना खिलाओ, प्रत्येक निर्धन को आधा स़ाअ**"।	**3-** जिसमें भुगतानकर्ता एवं प्राप्तकर्ता का निर्धारण किया गया है परंतु भुगतान की जाने वाली वस्तु का नहीं, जैसे क़सम का कफ़्फ़ारा।

यहया बिन अक्सम कहते हैं: मामून के शासनकाल में उनके पास मुनाज़रह की
एक मजलिस -अर्थात विचार परिषद- थी, एक दिन उसमें कुछ लोगों के साथ उत्तम
वस्त्र धारण किये हुये रूपवान तथा सुगंध लगाये हुये एक यहूदी आया।
वह कहते हैं कि: जब उसने वार्तालाप करना आरंभ किया तो भाषा पर उसकी
अच्छी पकड़ का भी अंदाज़ा हुआ।
वह कहते हैं कि: सभा जब समाप्त हुई तो मामून ने उसे बुलाया तथा
पूछा कि: क्या तुम इस्राईली अर्थात यहूदी हो ?

तो उसने कहा: हाँ।
मामून ने उससे कहा: यदि तुम इस्लाम धर्म स्वीकार कर
लो तो मैं तुम्हारे लिये अमुक कार्य कर दूँगा, तुम्हें अमुक लाभ पहुँचाऊँगा,
इस्लाम स्वीकार कर लेने की स्थिति में मामून ने उसे भलाई पहुँचाने का वादा किया।
यहूदी ने कहा: नहीं, बल्कि, मैं अपने धर्म तथा अपने पिता के धर्म पर चलूँगा। फिर वह चला गया।
वह कहते हैं कि: एक वर्ष के पश्चात वही यहूदी हमारे पास मुसलमान के रूप में आया।
उनका कहना है कि: उसने फ़िक़्ह (धर्म शास्त्र) एवं हदीस़ के विषय में उत्तम ढंग
से अपनी बात रखी, सभा जब समाप्त हुई तो मामून ने उस
बुलाया और कहा: क्या तुम वही व्यक्ति नहीं हो जिससे कुछ दिनों पहले मेरी भेंट हुई थी ?

उसने कहा: हाँ।
तो मामून ने पूछा कि: तुम्हारे इस्लाम धर्म स्वीकार करने का कारण क्या है?
यहूदी ने उत्तर देते हुये कहा: सुनें एवं अल्लाहु अकबर (अल्लाह सबसे बड़ा है) कहें,
उस दिन जब मैं आपके परिषद से वापस गया तो मैंने इन धर्मों को जाँचने का इरादा बनाया,
तथा मैं बड़े उत्तम ढंग से लिखना जानता हूँ, अतः मैंने तौरात लेकर उसकी तीन प्रतियाँ अपने
हाथों से लिखीं और उसमें अपनी ओर से कुछ कमी-वृद्धि कर दी,
तथा उसे गिरजा घर में रख दिया, तो लोगों ने इसे मुझ से खरीदा और उन्होंने इसे पढ़ने का या इसकी
समीक्षा करने का कदापि प्रयास नहीं किया, इसके पश्चात मैंने इंजील (बाइबिल) लेकर इसकी तीन प्रतियां
लिखीं तथा इसमें अपनी ओर से जोड़-घटाव किया और इसे बीआ
अर्थात सिनेगॉग (आराधनालय) में रख दिया, तो लोगों ने इसे मुझ से खरीदा
और इसे पढ़ने या इसकी समीक्षा करने का कदापि प्रयास नहीं किया, इसके बाद मैंने क़ुरआन की तीन
प्रतियाँ अपने हाथों से तैयार कीं और इसमें कुछ घटा बढ़ा दिया, फिर इसे काग़ज़ बेचने वालों के पास
रख दिया, तो उन लोगों ने कहा कि: हम इसे उस समय तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक इसे पढ़ न ल
एवं इसकी समीक्षा न कर लें, उन लोगों ने इसकी गलतियों को पकड़ लिया तथा इसमें जोड़े एवं
घटाये गये स्थानों को भी चिह्नित कर लिया, अतः उन लोगों ने उन
प्रतियों को जला दिया तथा मुझे भी जान से मारने का
प्रयास किया, तब मुझे पता चल गया कि यह अल्लाह के
द्वारा संरक्षित पुस्तक है, और यही मेरे इस्लाम धर्म
स्वीकार करने का कारण बना।

ज़कात के दो प्रकार हैं:

नफ़्ल: यह प्रत्येक वह धन है जिसे व्यक्ति केवल इबादत के रूप में निकालता है

फ़र्ज़:

इस के दो प्रकार हैं:

शरीर की ज़कात:

इस से अभिप्राय ज़कात -ए- फ़ित्र है। तथा यह प्रत्येक मुसलमान पर अनिवार्य है, चाहे वह बड़ा हो अथवा छोटा, महिला हो अथवा पुरुष, दास हो अथवा स्वतंत्र।

धन की ज़कात:

शरीअत के अनुसार इस की परिभाषा है: (यह अल्लाह की इबादत के रूप में किसी विशेष धन का एक अनिवार्य हिस्सा किसी विशेष समूह या स्थान क लिए निकाला जाता है)। यह इस्लाम के अरकान (स्तंभों) में से तीसरा स्तंभ है, तथा

इसके चार प्रकार हैं:

1 नकदी:

सोना एवं चांदी और उनके स्थान पर उपयोग की जाने वाली मुद्राएं और अन्य चीजें। सोने का निसाब 20 मिस्क़ाल (85 ग्राम) तथा चांदी का निसाब 200 दिरहम (595 ग्राम) है।

2 पालतू जानवर:

वे जानवर जो साल के अधिकतर समय अथवा पूरे साल ही बाहर चरते हैं। इसमें ऊंट, गाय, और भेड़-बकरियां शामिल हैं।

3 भूमि से उत्पन्न फसलें:

इसमें अनाज और फल शामिल हैं।

4 व्यापारिक वस्तुएं:

वे वस्तुएं जो बिक्री और खरीद के लिए तैयार की जाती हैं।

ज़कात के पात्र लोग

1. **फ़क़ीर** — ये वो लोग हैं जिनके पास कुछ भी न हो अथवा आवश्यकता से बहुत कम हो।
2. **मिस्कीन** — ये वो लोग हैं जिनके पास आधी या उससे अधिक जरूरतें पूरी करने के साधन हों, किंतु पूरी ज़रूरत नहीं पूरी कर सकते हों। उदहारण स्वरूप यदि हम मान लें कि किसी की साल भर की ज़रूरत 150000 रुपया है तो फ़क़ीर वह है जिस के पास 125000 से कम हो अथवा कुछ भी न हो, तथा मिस्कीन वह है जिसके पास 125000 अथवा इस से अधिक हो परंतु वह उसकी ज़रूरत की पूर्ति के लिए अपर्याप्त हो।
3. **ज़कात के कार्यकर्ता** — ये वो लोग हैं जो ज़कात इकट्ठा करने और बांटने का काम करते हैं। इनका निर्धारण शासक करेगा तथा ज़कात का धन लेने के लिए इनका फ़क़ीर होना शर्त नहीं है, बल्कि उन्हें मालदार होने क बावजूद दिया जाएगा
4. **दिल जोड़ने हेतु** — ये वो लोग हैं जिन के इस्लाम स्वीकार करने की आशा की जाती है, अथवा उन की दुष्टता से बचना उद्देश्य हो या उनके ईमान को सशक्त करना हो।
5. **दास स्वतंत्र करने हेतु** — ये निम्न लोग हैं: (क) वह मुसलमान दास जिस ने अपने स्वामी से स्वतंत्रता की कीमत तय कर रखी हो (ख) मुसलमान दास को स्वतंत्र कराना (ग) मुसलमान क़ैदी को छुड़ाना
6. **क़र्ज़ के बोझ तले दबे हुए लोग** — ये निम्न लोग हैं: (क) लोगों के बीच सुधार कराने के लिए क़र्ज़ लेने वाला (ख) अपनी ख़ातिर क़र्ज़ लेने वाला
7. **अल्लाह के रास्ते में** — इस में ग़ाज़ी लोग तथा उनकी आवश्यकता की वस्तुएं शामिल हैं, जैसे हथियार इत्यादि
8. **यात्री** — वे यात्री जिनका धन यात्रा के दौरान समाप्त हो गया, अतः उसे ज़कात के पैसे से उतना दिया जाएगा जो उसके घर तक जाने के लिए पर्याप्त हो।

अनुवादः साबिर हुसैन मुहम्मद मुजीबुर रहमान

रोज़ा के दो प्रकार हैं:

- वाजिब अर्थात अनिवार्यः रमज़ान, कफ्फ़ारा और नज्र -मन्नत- का रोज़ा
- नफ़्लः जो इस के अतिरिक्त हो

अल-स़्याम (रोज़ा) की परिभाषाः

सर्वशक्तिमान अल्लाह की इबादत व पूजा की ख़ातिर फजर -ए- स़ादिक अर्थात भोर से ले कर सूर्यास्त तक भोजन, पेय तथा संभोग से दूर रहने को, रोज़ा कहा जाता है।

रोज़ा के दो अरकान (स्तंभ) हैं:

1 नियत (इरादा)

फ़र्ज़ रोज़ा की नियत:	नफ्ल रोज़ा की नीयत:
फर्ज रोज़ा की नियत रात्रि ही में अर्थात फज्र से पूर्व कर लेना आवश्यक है, यदि कोई महीना के आरंभ में ही समस्त रमज़ान मास का रोज़ा रखने की नियत कर ले तो यह भी काफी होगा, नियत का स्थान हृदय है अतः ज़ुबान से बोल कर इसकी नियत करना बिदअत एवं नवाचार है।	दिन के किसी भी भाग में इसकी नियत कर लेना सही है, यदि उस समय तक रोज़ा तोड़ने वाला कोई कार्य नही किया हो तो, परंतु नियत के समय के बाद से उसको अज्र व पुण्य मिलेगा।

2 रोज़ा को तोड़ने वाली चीज़ों से रुक जाना।

रोज़ा को ख़राब करने वाली चीजें:

1 जानबूझकर खाने अथवा पीने वाला, जो भूलवश ऐसा करे उसका रोज़ा सही है। 2 पत्नी के संग संभोग करना, यदि ऐसा रमज़ान मास के दिन में किया हो और रोज़ा रखना उस पर वाजिब था तो उसपर मुग़ल्लज़ा कफ्फारा वाजिब है, जो इस प्रकार है: एक गुलाम आज़ाद करना, यदि इसकी शक्ति न हो तो दो महीने के लगातार रोज़े रखना,यदि इसमें भी असमर्थ हो तो साठ फकीर को खाना खिलाना। 3 पत्नी के संग अंतरंगता, चुम्बन,आलिंगन अथवा हस्तमैथुन इत्यादि के द्वारा वीर्य स्खलित करना। 4 ऐसी वस्तु का उपयोग जो खाने पीने के समान हो, जैसे स्वास्थ्यवर्धक सूई लगवाना,किंतु सूई यदि स्वास्थ्यवर्धक न हो तो रोज़ा नहीं टूटेगा। 5 हिजामा (पछना) के द्वारा रक्त निकलवाना,किंतु यदि थोड़ा सा ख़ून मेडिकल जाँच इत्यादि के लिए निकलवाया जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा। 6 जानबूझकर उलटी करना। 7 हैज़ (माहवारी) अथवा निफास (प्रसव) का ख़ून निकलना।

रोज़ेदार के लिए रोज़ा की स्थिति में जिन कार्यों की अनुमति है:

- आवश्यकतानुसार भोजन का स्वाद चखना।
- थूक निगलना
- स्नान करना
- मिस्वाक (दातुन) करना
- सुगंध लगाना
- ठंडक प्राप्त करना

रमज़ान का रोज़ा वाजिब व अनिवार्य होने की शर्तें

1 इस्लाम।

2 अक़्ल (चेतना)।

3 व्यस्क होना (बालक जब समझदार हो जाए तो उसको रोज़ा रखने के लिए प्रेरित किया जाएगा एवं उसके अभिभावक उसे रोज़ा रखने का आदेश देंगे)।

4 वतन में होना (यात्री पर रोज़ा वाजिब नहीं है, किंतु यदि उसे कष्ट न हो तो रोज़ा रखना ही बेहतर है –क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसा किया है, तथा इसमें अपनी ज़िम्मेवारी से भी अतिशीघ्र मुक्त हो जाना है, मुकल्लफ (उत्तरदायी) के लिए रमज़ान में रोज़ा रखना सहज भी है, तथा रमज़ान मास में रोज़ा रखने की फ़ज़ीलत भी उसे प्राप्त हो जाती है-)।

5 स्वस्थ होना।

6 ह़ैज़ (मासिक धर्म) तथा निफ़ास (प्रसवोत्तर रक्तस्राव) से पाक होना।

रोज़ेदार के लिए ह़राम अर्थात वर्जित कार्य:

1- बलग़म एवं खँखार घोंटना, किंतु इस से रोज़ा नहीं टूटेगा 2- उस व्यक्ति का अपनी पत्नी का चुंबन लेना जिस को स्वयं पर नियंत्रण न हो 3- ज़ूर बोलना (तथा इस से अभिप्राय सभी प्रकार का ह़राम कार्य करना है) 4- अज्ञानता (तथा इस से अभिप्राय मूर्खता वाला कार्य करना है) 5- विस़ाल (अर्थातः निरंतर दो दिन तक रोज़ा न रखे)

रोज़ा में मकरूह अर्थात अप्रिय कार्य:

1 कुल्ली करने तथा नाक में पानी डालने में मुबालग़ा (अतिशयोक्ति) करना।

2 बिना किसी आवश्यकता के खाना चखना।

अनुवादः साबिर हुसैन मुहम्मद मुजीबुर रह़मान

- ह़ज्ज के अरकान (स्तंभ): जसिने रुक्न छोड़ दयिा उसका ह़ज्ज मुकम्मल नहीं हुआ
- ह़ज्ज के वाजबिात: जसिने वाजबि छोड़ दयिा उसकी भरपाई पशु की बलि के द्वारा हो जायेगी

alsarhaan.com
sarhaan.com

उमरह के मनासकि

Indian الهندية

1 एहराम

नुसुक में प्रवेश करने की नयि्यत

- शाम एवं मस्रि् वासयिों की मीक़ात अल-जुहफ़ा 186 की.मी
- मदीना वासयिों की मीक़ात ज़ुल हुलैफ़ा 420 की.मी
- इराक़ वासयिों की मीक़ात ज़ात -ए- इर्क़ 98 की.मी
- नज्द वासयिों की मीक़ात क़र्न -ए- मनाज़लि 99 की.मी
- यमन वासयिों की मीक़ात यलमलम 99 की.मी

हवाई जहाज़ से आने वाले लोग आकाश में ही मीक़ात के नकिटतम स्थान से गुज़रत समय एहराम बांधेंगे

2 तवाफ़ (परक्रिमा)

सात चक्कर लगाना, हजर -ए- असवद से आरंभ कर क हजर -ए- असवद पर ही समाप्त करना

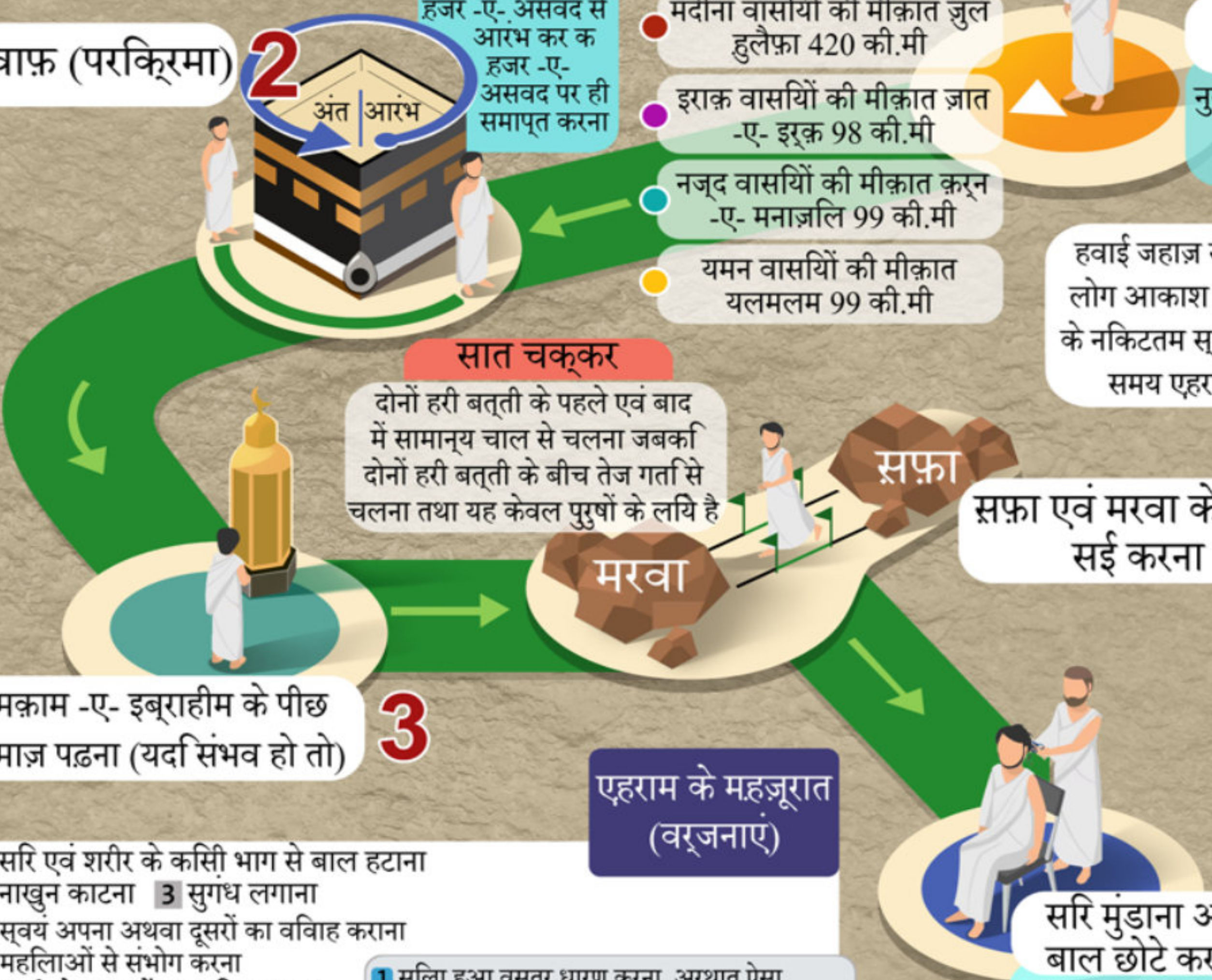

3 मक़ाम -ए- इब्राहीम के पीछ नमाज़ पढ़ना (यद संभव हो तो)

4 सफ़ा एवं मरवा के मध्य सई करना

सात चक्कर

दोनों हरी बत्ती के पहले एवं बाद में सामान्य चाल से चलना जबकि दोनों हरी बत्ती के बीच तेज गत से चलना तथा यह केवल पुरुषों के लयि है

5 सरि मुंडाना अथवा बाल छोटे करवाना

पुरुषों का सरि मुंडाना अथवा बाल छोटे करवाना, तथा महलिा उंगली के पोर के बराबर बाल छोटे करेगी

एहराम के महज़ूरात (वर्जनाएं)

1 सरि एवं शरीर के कसिी भाग से बाल हटाना
2 नाखुन काटना 3 सुगंध लगाना
4 स्वयं अपना अथवा दूसरों का ववािह कराना
5 महलिाओं से संभोग करना
6 धरती के जानवरों का शकिार करना

जो केवल पुरुषों के लयि वर्जति है:

1 सलिा हुआ वस्त्र धारण करना, अर्थात ऐसा वस्त्र जो शरीर के अंगों के हसिाब से सलिा हुआ हो
2 अमामा अथवा टोपी इत्यादजैसी कसिी चीज़ से सरि ढाँपना

जो केवल महलिाओं के लयि वर्जति है:

1 मुख को नक़िाब अथवा बुर्क़ा के द्वारा ढाँपना, कति यदवो अजनबी पुरुषों के साथ हों तो अपने मुख को दुपट्टा इत्यादसि ढकेंगी
2 दस्ताना पहनना

उमरा के मुस्तहब कार्य:

1 एहराम की नयि्यत करने के पूर्व बाल एवं नाखुन काटना यदकािटने की आवश्यकता हो तो
2 एहराम के लयि स्नान करना 3 पुरुषों का अपने शरीर पर सुगंध लगाना
4 पुरुषों का सफेद चादर एवं तहमद धारण करना
5 एहराम बांधने से लेकर तवाफ़ आरंभ करने तक तलबयिह (लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैका, लब्बैका ला शरीका लका लब्बैका, इन्नल हम्दा वन्नेअमता लका वल्मुल्क, ला शरीका लका) पढ़ना
6 तवाफ़ के दौरान पुरुषों का इज़्तबिाअ करना, अर्थात: अपने दाहनि कंधे को खुला रखना
7 हजर -ए- असवद को चूमना 8 प्रथम तीन चक्करों में रम्ल करना (तेज गत से चलना)
9 मक़ाम -ए- इब्राहीम के पीछे दो रक्अत नमाज़ पढ़ना

नैसर्गिक सुन्नत (स्वभाव)

वो गुण जिन के साथ अल्लाह तआला ने लोगों को उत्पन्न किया है

मनुष्य की अपनी एक विशेष प्रवृत्ति और मूलभूत आवश्यकतायें होती हैं। परंतु उस के आस-पास का समाज उन्हें प्रभावित करता है। कई प्रामाणिक हदीसों में इनका उल्लेख किया गया है

सुन्नत	हुक्म	परिभाषा
[1] मूँछ काटना	सुन्नत है, तथा पूर्णरूपेण मूँड़ना मकरूह (अप्रिय) है	मूँछ के विषय में सुन्नत यह है कि उस को काटा जाये तथा कम किया जाये, और उसे इस प्रकार से काटा जाये कि होंठ का निचला भाग दिखने लगे।
[2] दाढ़ी बढ़ाना	वाजिब है	दाढ़ी मूँड़ना हराम (वर्जित) है, क्योंकि यह दाढ़ी को छोड़ने एवं बढ़ाने से संबंधित नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आदेशों का उल्लंघन है।
[3] मिस्वाक (दातुन) करना	मुअक्कद अर्थात ऐसी सुन्नत जिस पर ज़ोर दिया गया है।	पीलू अथवा किसी अन्य लकड़ी की टहनी आदि को दाँत की स्वच्छता के लिये प्रयोग करना, मिस्वाक करना हर समय सुन्नत है, बल्कि इस पर अत्यधिक बल दिया गया है: वुज़ू के समय, नमाज़ के समय, घर एवं मस्जिद में प्रवेश करते समय, क़ुरआन का पाठ करते समय, निद्रा से जागने के समय, मृत्युशय्या पर, तथा मुख से दुर्गंध आने पर।
[4] नाक में पानी डाल कर साफ करना	वुज़ू की सुन्नत है	नाक में पानी डाल कर तत्पश्चात नाक को झाड़ कर उसे धोना एवं स्वच्छ करना।
[5] नाख़ून काटना	सुन्नत है, तथा इसे काटने में चालीस दिन से अधिक की देरी नहीं करनी चाहिये	नाख़ून को काटना चाहिये क्योंकि इसे छोड़े रखने से इस के नीचे गंदगी एकत्र हो जाती है।
[6] उंगली के जोड़ों को धोना	सुन्नत है	उन स्थानों की सफाई करना जहां गंदगी जमा होती है; और ये उंगलियों के जोड़ एवं गांठें हैं।
[7] बगल के बाल उखाड़ना	सुन्नत है, तथा इसे उखाड़ने अथवा काटने में चालीस दिन से अधिक की देरी नहीं करनी चाहिये	इससे अभिप्राय बगल में उगने वाले बालों को समाप्त करना है, चाहे इसे उखाड़ कर समाप्त किया गया हो अथवा मूंड़ कर अथवा किसी अन्य तरीके से, क्योंकि इसे समाप्त करने से स्वच्छता प्राप्त होती है एवं बगल की दुर्गंध दूर होती है।
[8] नाभि के नीचे के (जघन) बालों को समाप्त करना	सुन्नत है, तथा इसे समाप्त करने में चालीस दिन से अधिक की देरी नहीं करनी चाहिये	इससे अभिप्राय अंग विशेष (जननांग) के निकट उगने वाले बाल हैं, इसे मूंड़ने के अतिरिक्त किसी अन्य ढंग से भी समाप्त किया जा सकता है, जैसे आधुनिक हेयर रिमूवल क्रीम।
[9] इस्तिंजा करना	मल-मूत्र त्याग के शिष्टाचार में से है	आगे-पीछे के दोनों रास्तों से जो निकलता है उसे पानी आदि से धो कर साफ करना, बाहर निकलने वाले विशेष स्थान एवं जो उस के आस-पास होता है उसे धोना।
[10] कुल्ली करना	वुज़ू की सुन्नत है	मुख में पानी डाल कर तत्पश्चात बाहर निकाल कर मुख को साफ करना

आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि: अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: "दस कार्य फ़ित़रत अर्थात प्रकृति के अनुसार हैं: मूँछें काटना, दाढ़ी बढ़ाना, दातुन का प्रयोग करना, नाक में पानी डालना, नाख़ून काटना, उँगलियों के जोड़ धोना, कांख के बालों को उखाड़ना, जघन बाल को काटना और अपने जननांगों को पानी से साफ करना"। रावी अर्थात कथावाचक ज़करीय्या कहते हैं कि मुसअब ने कहा कि: मैं दसवां भूल गया हूं, परंतु संभव है कि वह कुल्ली करना हो। क़ुतैबा ने इसमें इतनी वृद्धि की है कि: वकीअ ने कहा कि: (अरबी शब्द: इंतिक़ास का अर्थ है: मल-मूत्र त्याग के पश्चात पानी का प्रयोग करना।

सुन्नत	हुक्म	परिभाषा
[11] ख़तना करना	पुरुषों के लिए वाजिब व अनिवार्य है तथा यदि आवश्यक हो तो महिलाओं के लिए अनुशंसित है	शिश्न की अग्र-त्वचा (खाल) को हटा देने की प्रक्रिया का नाम ख़तना है, ताकि उस में मैल इकट्ठा हो, एवं पेशाब करने के पश्चात पूर्णरूपेण स्वच्छता प्राप्त हो।

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: "पाँच कार्य फ़ित़रत अर्थात प्रकृति के अनुसार हैं: ख़तना करना ... हदीस़ अंत तक"। (इस हदीस़ को बुख़ारी एवं मुस्लिम ने वर्णित किया है)।

स्रोत: फ़त्हुल मुईन फ़ी तक़रीब मनहजिस्सालिकीन व तौज़ीहिल फ़िक़्ह फ़िद्दीन, लेखक: शैख़ ह़ैसम सरह़ान, अल्लाह तआला उन की सुरक्षा करे।

प्रथम संस्करण १४४३ हिजरी।

हिंदी अनुवाद: साबिर हुसैन पुत्र मुहम्मद मोजीबुर रहमान

संपर्क के लिये: https://alsarhaan.com

इस्लामी अख़लाक

ولا تقف ما ليس لك به علم
जिस की तुम्हें जानकारी न हो उसके पीछे न पड़ो

ولا تلبسوا الحق بالباطل
सत्य को असत्य से गडमड न करो

ولا تعثوا في الأرض مفسدين
ज़मीन में फसाद न मचाओ

ولا تعتدوا
हद से आगे न बढ़ो

واغضض من صوتك
अपनी आवाज़ धीमी रखो

واخفض جناحك للمؤمنين
मोमिनों के लिए नर्म पहलु इख़्तियार करें

ولا تصعر خدك للناس
लोगों से अपने चेहरे को न फेरो

ولا تمش في الأرض مرحا
ज़मीन में अकड़ कर न चलो

ادفع بالتي هي أحسن
आप बुराई को अच्छाई द्वारा दूर करें

خذ العفو وأمر بالعرف
आप क्षमा से काम लें, सदाचार का आदेश दें

وأعرض عن الجاهلين
अज्ञानियों की ओर ध्यान न दें

واقصد في مشيك
अपनी चाल में संतुलन रखो

ولا تنابزوا بالألقاب
आपस में एक-दूसरे को बुरी उपाधियों से न पुकारो

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
आपस में एक-दूसरे का धन अवैध रूप से न खाओ

لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى
उपकार जताकर तथा दुःख देकर अपने दानों को व्यर्थ न करो

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة
आप अपने रब की राह की ओर हिकमत के साथ बुलाएँ

اجتنبوا كثيرا من الظن
बहुत ज़्यादा गुमान पालने से बचो

ولا تجسسوا
टोह में न लगे रहा करो

ولا يغتب بعضكم بعضا
तुममें से कोई किसी की पीठ पीछे बुराई न करे

لا يسخر قوم من قوم
कोई क़ौम किसी क़ौम का मज़ाक़ न उड़ाए

وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى
माँ-बाप, रिश्तेदारों और अनाथों के साथ अच्छा व्यवहार करो

وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها
जब तुम से सलाम किया जाए तो उस से बेहतर अंदाज़ में उस सलाम का जवाब दो

ادخلوا في السلم كافة
इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ

أنفقوا مما رزقناكم
हमारी दी हुई रोज़ी से खर्च करो

وآتوا اليتامى أموالهم
अनाथों को (बालिग़ होने के बाद) उनका माल दे दो

ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب
बुरी चीज़ को अच्छी चीज़ से न बदलो

وأطعموا البائس الفقير
परेशान हाल फकीरों को खाना खिलाओ

وتعاونوا على البر والتقوى
सदाचार तथा संयम में एक-दूसरे की सहायता करो

ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
पाप और अत्याचार में एक-दूसरे की सहायता न करो

واحفظوا أيمانكم
अपनी खाई हुई क़समों की हिफाज़त करो

وقولوا للناس حسنا
लोगों से अच्छी बात किया करो

وقولوا قولا سديدا
दुरुस्त बात बोलो

كونوا قوامين بالقسط
इंसाफ पर क़ायम रहने वाले बनो

وزنوا بالقسطاس المستقيم
सहीह तराज़ू से तोलो

وأوفوا الكيل إذا كلتم
जब नापो पूरा नापकर दो

وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم
जब अल्लाह से कोई वचन करो तो उसे पूरा करो

اعدلوا
इन्साफ से काम लो

सार

दो अधिकार जो नैसर्गिक रूप से होने चाहियें तथा शरीअत ने भी उन्हें अनुमोदित किया है, हिंदी भाषा में, लेखक:इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह।

इब्न उसैमीन द्वारा, भगवान उस पर दया कर सकते हैं

इसका संक्षिप्तिकरण डॉक्टर हैसम सरहान ने
पूर्व शिक्षक मस्जिद -ए- नबवी
व पर्यवेक्षक मअहद अल-सुन्नह

कॉपीराइट उपलब्ध है
पुस्तिका के अनुवाद के लिए : sunnah.com - बारकोड स्कैन करें

1-अल्लाह तआला का अधिकारः

एक अकेले अल्लाह की इबादत व पूजा करना किसी को उसका साझी बनाये बिना, उसका विनम्र व आज्ञाकारी भक्त बन कर रहना, उसके आज्ञा का पालन करना, उसके निषेध व मना किये हुए कार्य से बचना, उसकी सूचनाओं की पुष्टि करना, आदर्श आस्था व अक़ीदा रखना, हक़ व सत्य पर ईमान रखना, फलदारी धार्मिक कर्म करना, ऐसी आस्था रखना जिसका आधार हैः मुहब्बत व प्रेम तथा इबादत व पूजा, और उसका फल हैःइख़लास व निष्ठा तथा दृढ़ता व अडिगता।

2- अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अधिकार:

बिना किसी अतिशयोक्ति और कमी के उचित रूप से उनका आदर, सम्मान, और महिमांडन करना और उनका उचित सत्कार करना।

साथ ही उन पर विश्वास करना तथा उनकी पुष्टि करना जो उन्होंने हमें अतीत और भविष्य की घटनाओं के बारे में सूचित किया है, उन्होंने जो करने की हमें आज्ञा दी है, उसका अनुपालन करना तथा जो उन्होंने निषिद्ध किया है, उससे बचना, यह मानना कि उनका मार्गदर्शन बिल्कुल सटीक, पूर्ण व सही मार्गदर्शन है, तथा उनकी लाई हुई शरीयत (इस्लामी कानून) और उनकी सीरत व मार्गदर्शन का बचाव करना।

3- माता-पिता के अधिकारः

उनके साथ नेकी करना, और यह होगा उनके साथ कर्म एवं कथन में शरीर एवं धन के साथ शिष्टाचार व एहसान करने के द्वारा, उनके आज्ञाओं का पालन करना यदि वो अल्लाह की अवज्ञा पर आधारित नहीं हैं तो और न जिसमें आपको कोई क्षति व हानि होती हो।

4- संतान के अधिकारः

1-पालन-पोषण एवं शिक्षा: यह उनके दिलों में उच्च स्तर पर धर्म और नैतिकता का विकास करना है।

2-उन पर बिना फिजूलखर्ची और लापरवाही के उचित तरीके से खर्च करना।

3- ख़र्चों और उपहारों में किसी को भी एक दूसरे के ऊपर वरीयता न देना।

5- सगे-संबंधियों के अधिकारः

रिश्तेदारी के संबंधों को बनाए रखने के लिए अपने सगे-संबंधियों के साथ भलाई करे, अपनी सामाजिक स्थिति का प्रयोग करके, उन्हें शारीरिक तथा आर्थिक रूप से लाभान्वित करने के लिए प्रयासरत रहे, इस बात को आधार बनाते हुए कि वे कितने निकटवर्ति और जरूरतमंद हैं।

6- पति-पत्नी के अधिकारः

एक-दूसरे के साथ दयापूर्वक रहना और एक-दूजे के जो अधिकार हैं उन्हें पूरी सहनशीलता और सहजता के साथ अदा करना, बिना किसी बाध्यता या टाल-मटोल के।

पत्नी का अपने पति पर अधिकार यह है कि:वह उसके भोजन, पेय, वस्त्र, आवास इत्यादि का प्रबंध करे, (और एक से अधिक पत्नी होने की स्थिति में) सभी पत्नियों के मध्य न्यायपूर्ण व्यवहार करे।

पति का अपनी पत्नी पर अधिकार यह है कि:अल्लाह की अवज्ञा न करने वाले मामलों में उसकी आज्ञा का पालन करना, उसके रहस्यों और धन की रक्षा करना, और ऐसा कार्य न करना जो पूर्णतः उस से लाभांवित होने से उसे रोक दे।

7-शासकों और प्रजा के अधिकारः

शासकों पर प्रजा के अधिकारःअल्लाह ने उन्हें जो अमानत व दायित्व सौंपा है और जिन जिम्मेवारियों को अदा करने के लिये बाध्य किया है, उसको अंजाम देना, जैसे कि उनका अपनी प्रजा को सलाह देना और उन्हें सही रास्ते पर ले जाना जो लोक और परलोक में उनके लाभ की गारंटी देता है, और ऐसा मोमिनों के मार्ग पर चलते हुए करे।

प्रजा पर शासकों के अधिकारःअल्लाह तआला ने उन्हें उनके मामलों का जो दायित्व सौंपा है उसके विषय में उन्हें सलाह देना, यदि वो लापरवाही करें तो उन्हें (उनका दायित्व) याद दिलाना, यदि वे सत्य मार्ग से भटक जायें तो उनके लिये प्रार्थना करना, अल्लाह की अवज्ञा न करने वाले मामलों में उनका आज्ञापालन करना, और उनकी सहायता करना।

8-पड़ोसी के अधिकार:

पड़ोसी: वह है जिस का घर आप के घर के निकट हो, पैसे, सामाजिक स्थिति और अन्य प्रकार की सहायता का उपयोग करके उनके अच्छे लिये आप जो कुछ भी कर सकते है, उसको करें। आपको उन्हें किसी भी प्रकार का मौखिक या शारीरिक नुकसान पहुँचाने से भी बचना चाहिए।

1- यदि वह वंश के आधार पर आपका संबंधी है और मुसलमान है, तो उसका आप पर तीन अधिकार हैं: पड़ोस का अधिकार, रिश्तेदारी का अधिकार और इस्लाम का अधिकार।

2- यदि वह मुसलमान है और वंश के आधार पर वह आपका संबंधी नहीं है, तो उसके पास दो अधिकार हैं: पड़ोस का अधिकार और इस्लाम का अधिकार।

3- यदि वह रिश्तेदार है परंतु मुस्लिम नहीं है, तो उसके दो अधिकार हैं: पड़ोस का अधिकार और रिश्तेदारी का अधिकार।

4- यदि वह संबंधी नहीं है और गैर-मुस्लिम है, तो उसका केवल एक अधिकार है: पड़ोस का अधिकार।

9- आम तौर पर एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर अधिकार:

उन्हीं में से है: सलाम करना, यदि वह आपको आमंत्रित करता है, तो निमंत्रण स्वीकार करें, यदि वह आपसे सलाह मांगे, तो उसे अच्छी सलाह दें, अगर वह छींकता है और 'अल्हम्दुलिल्लाह' कहता है, तो 'यरहमुकल्लाह' कहें, यदि वह बीमार हो, तो उससे

भेंट करने के लिये जायें, यदि वह मर जाता है, तो उसके अंतिम संस्कार में शामिल हों, उसे किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने से बचें।
एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर अनेक अधिकार हैं, परंतु उन्हें मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के अर्थ में संक्षेपित किया जा सकता है: "एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है"। इस भाईचारे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये व्यक्ति अपने भाई के लिये सभी प्रकार की अच्छाइयों की तलाश करने का प्रयास करेगा तथा उसे नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी चीज़ से बचने का प्रयास करेगा।

10- गैर-मुस्लिमों के अधिकार:

एक मुस्लिम शासक को जीवन, धन एवं मान-मर्यादा में इस्लामी कानून के अनुसार उन पर शासन करना चाहिए, जिन्हें वो ह़राम व निषेध समझते हैं उन (का अपराधी हो जाने पर, उन) के ऊपर ह़द्द (इस्लामी शरीअत के अनुसार निर्धारित दंड) लगाना, उनकी सुरक्षा करना तथा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना।
उन्हें पोशाक में मुसलमानों से अलग होना चाहिए, और वो इस्लाम में वर्जित किसी भी चीज़ को अथवा अपने धर्म के किसी
भी अनुष्ठान को प्रकट रूप से न अंजाम दें जैसे घंटी अथवा क्रॉस।

विषय सूची

1-अल्लाह तआला का अधिकारः
2-अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अधिकार
3-माता-पिता के अधिकारः
4-संतान के अधिकारः
5-सगे-संबंधियों के अधिकारः
6-पति-पत्नी के अधिकारः
7-शासकों और प्रजा के अधिकारः
8-पड़ोसी के अधिकारः
9-आम तौर पर एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर अधिकारः
10-गैर-मुस्लिमों के अधिकारः

मअहद अल-सुन्नह
mahadsunnah.com

शैख़ की वेबसाइट
alsarhaan.com

0504250337 mahadsunnah

بسم الله الرحمن الرحيم

(सुखी जीवन के लिए उपयोगी संदेश) नामक पुस्तक का सारांश

लेखकः अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी रहिमहुल्लाह (१३०७ – १३७६ हिजरी)

(यह अपने युग के प्रकांड मुस्लिम विद्वान एवं प्रसिद्ध अन्वेषी थे)

इस पुस्तक के लेखन का कारणः जब शैख़ रहिमहुल्लाह ने उपचार के उद्देश्य से सन १३७३ हिजरी में लेबनान की यात्रा की थी तो वहाँ उन्होंने डेल कार्नेगी नामक अमेरिकी लेखक की एक पुस्तक का अध्यन किया था जिसका शीर्षक था (चिंता छोड़ो सुख से जियो), यह पुस्तक उन्हें बहुत पसंद आई, अतः इसी को सामने रख कर उन्होंने यह पुस्तक लिखी)।

1- **अल्लाह तआला पर ईमान रखना एवं नेक अमल -सदकर्म- करना** (क्योंकि अल्लाह पर ईमान रखना अल्लाह की ओर से मुक़द्दर की गई चीज़ों पर सब्र करने, सहमत होने तथा संतोष करने के लिए प्रेरित करता है)।

2- **कर्म एवं वक्तव्य के द्वारा जीव-जंतु पर एहसान व उपकार करना** (क्योंकि भलाई करने वालों को भलाई मिलती है, तथा बुराई भी उनसे दूर होती है)।

3- **लाभदायक ज्ञान अथवा कर्तव्य में लीन रहना** (क्योंकि स्वयं को व्यस्त रखने से मन को उन चीज़ों के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता है जो आपको व्यथित करें)।

4- **आज क्या करना है इस पर ध्यान केंद्रित करें** (जो बीत गया उसकी चिंता न करें, और जो आने वाला है उसके लिए व्याकुल न हों, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम चिंताजनक एवं दुःख दायक चीज़ों से अल्लाह की शरण मांगा करते थे)।

5- **अधिकाधिक अल्लाह तआला का स्मरण व ज़िक्र करना** (क्योंकि अल्लाह का स्मरण करना दिल की शांति एवं उसको चिंतामुक्त बनाने का कारण है)।

6- **अल्लाह तआला की स्पष्ट एवं छिन्न नियामतों का शुमार करना** (क्योंकि यह आपके अंदर शुक्र एवं धन्यवाद का भाव उत्पन्न करेगा जो चिंताओं को भूल जाने का कारण बनेगा)।

7- **अपने से नीचे वालों को देखना** (क्योंकि इससे आपके पास जो कुछ है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने का भाव आपके मन में उत्पन्न होगा, और यह आपकी चिंताओं एवं दुखों को दूर कर देगा)।

8- **जो बीत गया उसको भूल जाना** (क्योंकि जो बीत गया उसको वापस लाना असंभव है, अतः उसके विषय में चिंता करना, बेकार बात एवं पागलपन है)।

9- **अल्लाह तआला से अनवरत दुआ करते रहना** (जैसे यह दुआ करे किः अल्लाह तआला उसके दीन, दुनियाँ एवं आख़िरत (धर्म, लोक एवं परलोक) को सुधार दे, जैसाकि ह़दीस़ में वर्णित है।

10- **इससे भी बुरी स्थिति की कल्पना करें** (आपदा के समय इससे भी बुरी स्थिति में पड़ जाने की कल्पना करे, इससे उस समय वाली आपदा उसको हल्की लगने लगेगी, और जब कोई आपदा आ जाए तो उसको दूर करने का हरसंभव प्रयास करे)।

11- **, वहम एवं बेकार चिंताओं से दूर रहना** (क्योंकि वहम आपके अंदर बुरे विचार का संचार करता है, जिससे व्यक्ति किसी अन्होनी की आशंका से व्याकुल हो जाता है, ज्ञात हो कि यह दुखों एवं रोगों का एक बड़ा कारण है)।

12- **हार्दिक रूप से पूरी तरह अल्लाह पर तवक्कुल, भरोसा एवं एतमाद करना** (अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ﴾ जो अल्लाह पर निर्भर रहेगा तो अल्लाह उसके लिए पर्याप्त होगा) सूरह तलाक़ः ३ ।

13- **दूसरों की गलतियों को बरदाश्त करना एवं उस पर संयम बरतना सीखें** (क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई ऐसा ऐब, कमी, त्रुटि या कोई ऐसी चीज़ अवश्य होगी जो आपको अप्रिय होगी, अतः उसको छोड़ कर उसकी अच्छाइयों की ओर ध्यान केंद्रित करें)।

14- **निरर्थक एवं बेकार बातों में स्वयं को व्यस्त रखने से दूर रहें** (क्योंकि जिस प्रकार से आप बड़े मामलों से बचने के लिए स्वयं को बौद्धिक एवं शारीरिक रूप से तैयार रखते हैं, उसी प्रकार छोटी बातों की ओर ध्यान देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है)।

15- **जीवन बहुत छोटा है** (वास्तविक जीवन -अल्प होने के बावजूद- वह जीवन है जिसमें सुख चैन का समावेश हो, अतः इसे चिंता एवं दुःख में पड़ कर और अधिक छोटा न करें)।

16- **चिंता के बहुतेरे कारणों में यदि गहन विचार किया जाए तो पता चलेगा कि वास्तव में ये चिंता का कारण हैं ही नहीं** (क्योंकि बहुत सी चिंताजनक बातें जिनके विषय में सोच-सोच कर मानव परेशान रहता है वो घटित ही नहीं होती हैं, अतः उन बड़ी चिंताओं को पछाड़ने के लिए आप के पास यदि एक क्षीण आशा भी हो तो उसको तुच्छ न समझें)।

17- **लोगों की ओर से मिलने वाली परेशानियों पर दुखी न हों** (क्योंकि लोगों से जो दुख आपको मिलता है वास्तव में वह उस को ही चोट पहुँचाने वाला होता है, किंतु जब आप उसमें व्यस्त हो जाएंगे तो यह आपको भी उसी प्रकार से हानि पहुँचाएगा जिस प्रकार से यह उन्हें हानि पहुँचाता है)।

18- **आपका जीवन आपके विचार के अधीन है** (यदि आप ऐसी चीज़ों के बारे में विचार-विमर्श करते हैं जिससे आपको लोक परलोक दोनों में लाभ हो तब तो आपका जीवन सुखमय जीवन है, अन्यथा इसके विपरीत आपका जीवन दुखमय जीवन होगा)।

19- **लोगों के शुक्रिया एवं धन्यवाद की आशा तथा प्रतीक्षा न करें** (यदि आपने किसी व्यक्ति पर उपकार किया है चाहे उसका अधिकार आप पर था अथवा नहीं, तो यह आपने अल्लाह की ख़ातिर किया है, अतः लोगों से धन्यवाद की अपेक्षा न करें)।

20- **स्वयं को ऐसी चीज़ों में व्यस्त रखें जो आप के लिए लाभदायक हों** (क्योंकि हानिकारक चीज़ें आपको दुःख एवं चिंता में डालती हैं, अतः अल्लाह से सहायता माँगते हुए स्वयं को लाभदायक चीज़ों में व्यस्त रखें)।

21- **आज का काम कल पर न डाल** (क्योंकि यदि आप अपने कर्तव्यों का त्वरित निर्वहन नहीं करते हैं तो पिछले कार्यों का आपके पास ढ़ेर तो लगेगा ही आने वाले कार्यों का जमावड़ा भी आपके पास लग जाएगा)।

22- **अपनी प्राथमिकताएं तय करें** (अतः सर्वप्रथम श्रेष्ठतम तत्पश्चात श्रेष्ठ अर्थात सबसे पहले अति महत्वपूर्ण फिर महत्वपूर्ण, इस प्रकार अपनी प्राथमिकताए तय कर लें, और उस चीज़ से प्रारंभ करें जिसको आप पसंद करते हैं ताकि आप काहिली एवं आलस्य का शिकार न हों, एवं मशवरा करें क्योंकि अरबी में एक कहावत है: "जिसने परामर्श किया वह कभी लज्जित नहीं हुआ")।